



कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद, हरदोई

Phone & Fax No: 05852-261000,
e-mail : enquiry@rediffmail.com

ਪੰਨਾਕ: 15050 / ਵਿਭਿੰਨਾਂ ਸਾਡੇ / ਪੀਓਏਫ਼ੋ

दिनांक : 1 | 3 | 2024

कार्यालय झाप

उपर देश पान कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश संख्या 469-चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015 निदशक (वितरण) दिनांक 23.04.2015
पर्याप्त वार्षिक बाजार विद्युत भारत कमाल 1008364.54 रुपये के विवरित शर्तों के आधार पर विद्युत भार एवं धनराशि जमा करने की
लिखित अनुमति दिलायी गयी है।

क्रमसंख्या	आवेदक का नाम व पता	आवेदन क्रमांक	स्वीकृत भार	श्रेणी	प्रयोजन	रशीद सं० / दिनांक
1	श्री महेशल पुत्र श्री राजाराम निः प्राम लग्नदौजा भिजापुर पो० पाली निःख० भरखनी, उरद्योई।	1008364546	8 HP	LMV-5	निजी नलकूप	VIC42189001311/ 31.12.2023
उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अधिकृत करना निम्नलिखित शर्तों/प्रतिक्रिया के अधीन है-						
सामग्री का मूल्य	रु०	113554.00				
सीटर की कीमत	रु०	2921.00				
गोटर लेबर चार्जेर	रु०	2036.00				
प्रतिभूति धनराशि	रु०	<u>2400.00</u>				
जमा करने हेतु कुल धनराशि रु०		<u>120911.00</u>				

अमरापुरा शब्दों में— (एक लाख तीस हजार नौ सौ ग्यारह रुपये मात्र)

नियम व शर्तें-

२. इस अधिक के लिया होने से दो वर्ष की अवधि में उपमात्रता द्वारा उपरालायत प्राप्तिशासन उपलब्ध होता है।

इसके दूसरे दृष्टि शर्त के साथ भी प्रारंभिकता है कि उपभोक्ता का डुअ नियुक्तिगर के उपर्याग के पूर्व उपर्याग के दृष्टिकोण
में एवं इन्हीं नियुक्तिगर के द्वारा लाइसेंस (यदि आवश्यक हो) भी प्राप्त कर इस कार्यालय में
उपलब्ध अनिवार्य होता।

५ यदि इसमेंकहत को पढ़ा मैंचुरियत विद्युत भारत पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेगे।
६ उसके संयोजन को विद्युत आपूर्ति विवरणोंरेशन के नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-२ पर आवश्यकतानुसार रोटिंग तथा आपात कालीन रोटिंग की जा सकती है।

६. विद्युत अपूर्ति कारपोरेशन के लगारेट शैल्यों में निहित वाल्टज पर ही दो जायगा।

७. उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कागजराशन का किसी भी द्रुक लाइन का टप करके अपनुवत नहीं किया जायगा।
८. किसी भी दशा में एहसी पोषक की भागराजिका/भगरमहापालिका/टाउन ऐरिया की सीमा से बाहर उड़ाकर विद्युतनाश अपनुवत नहीं किया जायगा।

व्यवस्था विद्युतन्त्रम् पापक द्वारा विद्युतन्त्रम् अवगृह्णने कर्तव्ये हेतु कारपोरेशन द्वारा समय-2 पर निर्भीत आदेशों का शंखपलग लुभिष्ठित विद्या दत्तयेत्।

यदि बल्लम 2 में उल्लिखित परिस्थिति/इकाई पर अधिका उपर्योगता के नाम से पहले कोई क्रेनकरन रहा हो तो उसका सीधीय विषय दूसरी गढ़ी पिमुख (रिलोज) किया जायेगा, जब तक उस पुराने कर्मनकाशन अथवा उपर्योगता के विलङ्घ बढ़काया करण्योन्नति (यदि कोई हो) का पूरा उपयोग न कर दिया जाये।

११ यदि उक्त हाईट्रोफी/उपर्युक्ता और पारिवाद के मध्य कोई न्यायालयिक विवाद अस्था कोर्ट के संलग्नित हो तो सभा दशा में यह विवाद भिन्नता (डिसिल) नहीं किया जाएगा।

१२ कारपारशन द्वारा निर्धारित ओपकारेक तरी पुन करने के प्रयत्न ही विद्युतगर शिमुक्त किया जायेगा।

१३ कॉल्ड स्टारज न खम्बा में ऐ घटे गिरु आपूर्ति सुनिश्चित करने के सद्विषय से गिरु आपूर्ति खतन्त्र पोषक (इन्डफैट्स) स की जाएगी। इस हंपु नथा खतन्त्र पोषक बनाना आवश्यक हो तो उसके निमार्ग के होने वाला व्यय स्वयं उपयोक्ता को बहन करना हागा।

14. विद्युत प्रणाली वासाओं/आपकाकीन सेरिट अधिक विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत/गांग बनाए रखने के लिये उपग्रेड का संदेश दिया जाता है कि नवयुक्त क्षमता का जनरेटिंग सेट लगा से, जिसके लिये परिषद की पूर्वानुसत्ति अवगति के पास कर सकते हैं।

- अनुबन्ध हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यवाही -
1. मोटर निरीक्षण शुल्क के रूप में शासकीय कोश में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क 500.00 जमा करना होगा।
 2. ऊपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत य रार्जिस लाइन चार्ज रूपये की रसीद की दो छायाप्रति परस्तुत करें।
 3. 100.00 रु. नॉनजुलिशियल जनरल रटाप्प तथा एम 100.00 पर निर्धारित हलफनामे पर एक-एक फोटो चरापाकर किसी राजपत्रित/ग्रामपत्रान/ल्लाकप्रभुख/सदस्यविधानसभा/लोकसभा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
 4. आवेदक के आधारकार्ड की एक छायाप्रति लाईं, जिस पर फोटो लगाकर प्रमाणित करायें तथा पूरा नाम य पता एवं गोवाइल नं. लिखें।
 5. कैपीशिटर खरीद की रसीद की छायाप्रति दो प्रतियों में।
 6. यदि आपको ऊपर लिखी शर्त मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे से 01 बजे दोपहर तक किन्हीं दो गवाहों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर एग्रीगेट पर हस्ताक्षर करें। मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं आपको कनेक्शन हेतु लाइन व सबरटेशन बनवाने हेतु.....
 7. करनी होगी।
 8. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं समन्वित विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई रो अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी औपके साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक/रिकल्डलेवर/जावेगा तथा आप द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
 9. मोटर पर निर्धारित धमता का कैपीशिटर लगायें।
 10. आपको अपना पम्हाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईट, वालू तथा सीमेट का प्रवन्ध करना पड़ेगा अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यकता अपनी लाइन कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

नोट:-

1. सीमेन्ट, वालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्मे तक एंगिल पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकीमात्रा निम्नलिखित दर से होगी, प्रति खम्मा तक सीमेन्ट 0.85 वोरी, वालू 4.55 घनफिट, मिट्टी 910 घनफिट, सीमेन्ट 0.35 वोरी, वालू 1.85 घनफिट मिट्टी 3.77 घनफिट।
2. आपके कनेक्शन को विजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और वी0 एण्ड एल0 फार्म और मोटरडिवलरेशन फार्म मिट्टी 1.37 घनफिट।
3. (मोटर मुआयना के द्वेषरी चालान सहित) इस कार्यालय में जमा करें।
4. यदि आप उपरोक्त शर्त इस पत्र पाने के 90 दिन के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और आपका आवंदन-पत्र निररत कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
5. कृपया ISI मार्क मोटरों व स्टार्टर का प्रयोग करें।
6. लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
7. आवेदक द्वारा संयोजन रथल पर कोठरी निर्माण के पश्चात ही संयोजन ऊर्जाकृत हो सकेगा।
8. उपरोक्त नियम व शर्तों में परिवर्तन होना सम्भावित है तथा संशोधन नियम शर्त आपको मान्य होगी।
9. जमायोजनान्तर्गत कनेक्शन लेने पर धनराशि जमा करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वरीयता क्रमानुसार संयोजन दिया जायेगा।

पत्राक: 15050 /वि0वि0ख0श0ह0/ पी0एफ0

प्रातंनिप नियमावली को सुनायथं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपरान्त अधिकारी प्रथम/द्वितीय/तृतीय, विद्युत उपखण्ड शाहावाद/पिहानी/सवायजपु. हरदोई।

दिनांक : 11.3.2024

(विनोद कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

०/५५

(विनोद कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

०/५५